रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-72 REGISTERED No. D. (D.N.)-72

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 128] नई दिल्ली, बुधवार, जून 4, 1986/ज्येष्ठ 14, 1908
No. 128] NEW DELHI, WEDNESDAY, JUNE 4, 1986/JYAISTHA 14, 1908

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

श्रम मंत्रालय

नई दिल्ली, 4 जून, 1986

संकल्प

संख्या यू.-23013/13/86-एल. डब्ल्यू. :– केन्द्रीय सलाहकार ठेका श्रम बोर्ड, ठेका श्रम (विनियमन और उत्पादन) अधिनियम, 1970 (1970 का 37) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, देश में भारतीय खाद्य निगम मे ठेका श्रम प्रणाली को समाप्त करने के प्रश्न पर विचार करने के लिए एक समिति का गठन करती है।

2. उक्त समिति का गठन और उसके विचारार्थ विषय इस प्रकार होंगे :–

गठन

1. श्री एम. एम. वासवानी, सदस्य
अपर कार्यकारी निदेशक,
स्थापना (विशेष), रेलवे बोर्ड,
नई दिल्ली।

विकल्प

श्री एन. पद्मनाभन,
अपर निदेशक, स्थापना (एन.)
रेलवे बोर्ड, नई दिल्ली।

2. श्री ए. वी. बहूमा, सदस्य
मुख्य (कार्मिक), कोल इंडिया लिमिटेड,
10, नेताजी सुभाष रोड,
कलकत्ता - 700001

3. श्री बी. चौधरी, सदस्य
जनरल सेक्रेटरी, इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन
कांग्रेस, राजस्थान शाखा, कॉफी हाउस,
एम. आई रोड, जयपुर-302001

4. श्री लक्ष्मण रविन्द्र सिंह, सदस्य
भारतीय मजदूर संघ,
म्यूनिसिपल क्वार्टर्स, परेड ग्राऊड,
जम्मू - 180001

5. कल्याण आयुक्त, सदस्य-संयोजक
142, बदकस बंगला, रामदेसपेठ,
नागपुर-440010

विचारार्थ विषय –

भारतीय खाद्य निगम डिपो में ठेका श्रम प्रणाली के कार्यकरण की जांच करना और उपयुक्त सिफारिशें देना कि क्या भारतीय खाद्य निगम में ठेका श्रमिकों के नियोजन को प्रतिषिद्ध किया जाए या नहीं।

3. समिति का मुख्यालय नागपुर में होगा। यह उल्लेखनीय है कि भारतीय खाद्य निगम में ठेका श्रम प्रणाली के बारे में रिट याचिका संख्या-13508/83 और एस. एल. पी. (सी) संख्या 7039/85, भारतीय खाद्य निगम वर्कर्स यूनियन बनाम भारतीय खाद्य निगम और अन्य में सी. एम. पी. संख्या-18477/83 में, उच्चतम न्यायालय ने दिनांक 15 अप्रैल, 1986 के अपने आदेश में यह निदेश दिया है कि केन्द्रीय सलाहकार ठेका श्रम बोर्ड अपने आदेश की तारीख से तीन महीनों से अनधिक अवधि के अन्दर अर्थात 14-7-1986 तक अपनी रिपोर्ट केन्द्रीय सरकार को देगा। समिति अपनी रिपोर्ट शीघ्र प्रस्तुत करने का प्रयास करेगी ताकि केन्द्रीय सलाहकार ठेका श्रम बोर्ड उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्धारित समय सीमा के अन्दर अपनी रिपोर्ट भारत सरकार को प्रस्तुत कर सकें।

पी. बी. महिषी, उप सचिव, भारत सरकार
और
सचिव, केन्द्रीय सलाहकार ठेका श्रम बोर्ड

MINISTRY OF LABOUR

New Delhi, the 4th June, 1986

RESOLUTION

No. U-23013/13/86—LW.—In exercise of the powers conferred by section 5 of the Contract Labour (Regulation and Abolition) Act, 1970 (37 of 1970), the Central Advisory Contract Labour Board hereby constitutes a committee to go into the question of abolition of contract labour system in the Food Corporation of India in the country.

2. The composition of the Committee and its terms of reference will be as under:—

COMPOSITION

1. Shri M.M. Vaswani, Member
Additional Executive Director,
Establishment (Special),
Railway Board,
New Delhi.
Alternate
Shri N. Padmanabhan,
Additional Director, Establishment(N),
Railway Board,
New Delhi.

2. Shri A.V. Brahma, Member
Chief (Personnel),
Coal India Limited,
10, Netaji Subhas Road,
Calcutta-700001.

3. Shri B. Chaudhury, Member
General Secretary,
Indian National Trade Union.
Congress,
Rajasthan Branch,
Coffee House,
MI Road,
Jaipur-302001.

4. Shri Lakshman Ravinder Singh, Member
Bharatiya Mazdoor Sangh,
Municipal Quarters,
Parade Ground,
Jammu-180001.

5 Welfare Commissioner, Member-Convener
142, Backas Bungalow,
Ramdespeth,
Nagpur-440010.

TERMS OF REFERENCE

To study the working of contract labour system in Food Corporation of India Depots and to make suitable recommendations whether the employment of Contract Labour in the Food Corporation of India should be prohibited or not.

3. The Headquarters of the Committee will be at Nagpur. It is mentioned that in CMP No. 18477/85 in Writ Petition No. 13508/83 & SLP (C) No. 7039/85, FCI Workers Union Vs. FCI & Ors regarding contract labour system in FCI, the Supreme Court in their Order dated the 15th April, 1986 has directed that the Central Advisory Contract Labour Board shall make its report to the Central Government within a period not exceeding three months from the date of their Order i.e. by 14-7-1986. The Committee would endeavour to submit its report early so that the Central Advisory Contract Labour Board is able to submit its report within the time limit prescribed by the Supreme Court.

P.B. MAHISHI, Dy. Secy.
to the Govt. of India
and
Secy. to the Central Advisory
Contract Labour Board.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1986